

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक:एफ.55()पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2019/ 88557

दिनांक: 20/9/19

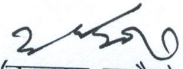
मीटिंग नोटिस

राजस्थान पत्रिका दिनांक 27.08.2019 के चौमूं संस्करण, पत्रिका सिटीजन में "48 लाख जमा नहीं, काटे 15 कनेक्शन" नगर पालिका, चौमूं का मामला शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई, जिसमें बताया गया कि नगर पालिका द्वारा जलापूर्ति योजना में विद्युत बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण विद्युत संबंध विच्छेद कर दिये गये, जिसके कारण चौमूं कस्बे की पेयजल आपूर्ति प्रभावित रही। उक्त प्रकरण को उच्च अधिकारियों द्वारा आयुक्त/अधिकाधिकारी अधिकारियों की राजकार्य में लापरवाही को गंभीरता से लिया गया है।

उपरोक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष (निदेशालय) में दिनांक 30.09.2019 को प्रातः 11:00 बजे बैठक आयोजित की जायेगी। बैठक में सभी आठ शहरों कमशः बूंदी, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, करौली, नाथद्वारा, नोखा एवं चौमूं, जिनकी जलापूर्ति नगरीय निकायों द्वारा देखरेख की जाती है, से संबंधित क्षेत्रिय उपनिदेशक, आयुक्त/अधिकाधिकारी अधिकारी निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दु की तैयारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1. जलापूर्ति के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान के विषय में की गई कार्यवाही रिपोर्ट (संलग्न फॉर्मेट-I)।
2. बकाया जल राजस्व प्राप्ति के लिये किये जा रहे प्रयास व प्रगति (संलग्न फॉर्मेट-II)।
3. जलापूर्ति योजना के सुचारु संचालन एवं संधारण के लिये आवश्यक Performance Indicator यथा जल उत्पादन, सेवा का स्तर, गैर राजस्व जल व संचालन हेतु मासिक खर्चों का विवरण।
4. पूंजीगत कार्य (नये सिविल स्ट्रक्चर, पाईप लाईन व पम्प हाउस) एवं संधारण कार्य यथा लीकेंज रिपेयर, पम्प रिपेयर एवं आवश्यक रसायन की उपलब्धता की स्थिति एवं इनके स्थानीय निकाय स्तर से कय/संधारण के लिए किये जा रहे प्रयास (संलग्न फॉर्मेट-III)।
5. इन जलापूर्ति योजनाओं में जन आक्षेप, मीडिया शिकायत, गंदे पानी व कम दबाव से पेयजल आपूर्ति की समस्या एवं निराकरण के लिए किये जा रहे प्रयासों की स्थिति।
6. निदेशालय से जारी विभागीय दिशा-निर्देशों की अनुपालना की स्थिति:
 - i. नगरीय निकायों की पेयजल व्यवस्था संचालन/संधारण के संबंध में विभागीय पत्रांक 8651 दिनांक 18.03.2019 एवं पत्रांक 9413-420 दिनांक 26.03.2019
 - ii. अप्राप्त जल राजस्व की वसूली के विषय में विभागीय पत्रांक 20151 दिनांक 09.05.2019, पत्रांक 39572-579 दिनांक 17.07.2019, पत्रांक 45262-269 दिनांक 05.08.2019 व अर्द्धशासकीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.08.2019
 - iii. गंदे पानी की समस्या से बचने की प्रक्रिया अथवा समस्या होने पर किये जाने वाले कार्य के लिए जारी एडवाइजरी क्रमांक 33711-7459 दिनांक 27.06.2019

उक्त मीटिंग की महत्ता के दृष्टिगत उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी पूर्ण तैयारी के साथ मय आवश्यक रिकॉर्ड उपस्थित होंगे।


(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:एफ.55()पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2019/

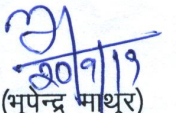
प्रतिलिपी निम्न को, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

88558-582

दिनांक: 20/9/19

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास/आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।

3. जिला कलक्टर, बूंदी/जैसलमेर/नागौर/श्रीगंगानगर/करौली/बीकानेर/राजसमंद/जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. अति. निदेशक, आरयूआईडीपी, जवाहर सर्किल, जेएलएन मार्ग, जयपुर बैठक में उपरोक्त शहरों में प्रस्तावित आरयूआईडीपी द्वारा किये जा रहे/जाने वाले जलापूर्ति सुदृढीकरण के कार्यों की वस्तु-स्थिति रिपोर्ट के साथ उपस्थित हों।
7. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर बैठक में आयोजना/गैर-आयोजना मद में बजट की उपलब्धता/खर्च के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु।
8. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/अजमेर।
9. आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी, नगर परिषद्/पालिका, बूंदी, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, करौली, नाथद्वारा, नोखा एवं चौमूं **को संलग्न निदेशादेश प्रपत्र में अनुरोध सूचना दिनांक 25.9.19 तक ई-मेल से प्रेषित करने हेतु**
10. सीएमएआर, निदेशालय को जलपान की व्यवस्था करने हेतु।
11. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

1

 (भूपेन्द्र माथुर)
 मुख्य अभियंता

जलापूर्ति के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान एवं शेष विद्युत राशि का विवरण

(राशि रु. लाखों में)

वित्तीय वर्ष 2018-19

[illegible]

(.....)
आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर परिषद/पालिका

Format-III

जलापूर्ति योजना के लिए आवश्यक पूंजीगत कार्य/गैर पूंजीगत कार्य की स्थिति वर्ष 2019-20 के लिए

(राशि रु. लाखों में)

As on 01.04.2019

क्र. सं.	विहित पूंजीगत कार्य	जारी निविदा सं./दिनांक एवं कार्यदिश सं./दिनांक	विहित गैर पूंजीगत कार्य हेतु दर संविदा की स्थिति		यदि दर संविदा उपलब्ध है तो		यदि दर संविदा उपलब्ध नहीं है तो	
			आईएम	हां/नहीं	दर संविदा के अंतर्गत शेष उपलब्ध राशि	वैधता दिनांक	अनुमानित लागत	निविदा जारी सं./दिनांक एवं सं./दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नवीन पाइप लाइन		पाइप लाइन लोकल रिपेयर कार्य					
2	उच्च जलाशय/स्वच्छ जलाशय/ऑफिस बिल्डिंग इत्यादि		रसायन (ऐलम/लाईम/ब्लीचिंग पाउडर एवं लिक्विड क्लोरीन)					
3	पम्प हाउस		पम्प रिपेयर/मोटर रिवाइडिंग कार्य					
4	नवीन वाटर मीटर खरीदने/बदलने का कार्य		जल संसाधन/पीएचईडी को बल्क वाटर भुगतान					

(.....)
आयुक्त/अधिसाक्षी अधिकारी,
नगर परिषद/पालिका.....

Statement showing financial yearwise outstanding revenue

Statement showing financial yearwise outstanding											
(Amount Rs. in lacs)											
	FY 2013-14	FY 2014-15	FY 2015-16	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	
Revenue Assessed for the FY "X"											
Pending old revenue realisation (as per report) "Y"											
Total revenue to be realised during FY = X-Y											
Actual revenue realised											
Outstanding revenue realisation for next FY by March 31st											

(.....)
 आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
 नगर परिषद/पालिका.....